न्यायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 51/2023 उनवान सन्तोष बनाम गोपाल

सन्तोष कवंर पत्नी महेन्द्र सिंह उम्र बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडौल तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य। —प्रार्थीगण

बनाम

गोपाल सिंह पुत्र भंवर सिंह उम्र बालिग जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडौल तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य। — अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 12/7/2024

उपस्थितः— वकील प्रार्थी दौराने बहस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री विजेन्द्र सिंह के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 18.08.2023 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 51/2023 पर दर्ज किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री विजेन्द्र सिंह ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम झाडौल, पटवार हल्का झाडौल तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 627, 190, 191, 676/193, 187, 188, 189, 421, 422, 423 तथा गोपालपुरा स्थित भूमि खसरा संख्या 136 स्थित है जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। उक्त भूमि का वर्तमान में विधिक विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थीया संख्या 01 के पति तथा प्रार्थीया संख्या 02 के पिता का स्वर्गवास वर्ष 1996 में हो गया था, उक्त भूमि प्रार्थीया संख्या 01 के ससुर छोटू सिंह पुत्र भंवर सिंह के नाम दर्ज थी, छोटू सिंह के स्वर्गवास के बाद नामान्तरण संख्या 423 के तहत उक्त भूमि उनके वारिसानो के नाम दर्ज हो गयी। उक्त भूमि का विधिक विभाजन नहीं होने तथा प्रार्थीया विधवा होने का लाभ उठाते हुये अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करतें है अत श्रीमान से निवेदन है कि मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम झाडौल, पटवार हल्का झाडौल तहसील अरांई में स्थित , जिसके खसरा संख्या 627, 190, 191, 676/193, 187, 188, 189, 421, 422, 423, गोपालपुरा स्थित भूमि खसरा संख्या 136 है में प्रार्थीया के काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें, बाधा उत्पन्न नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:10:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

रण को दर्ज करने के बाद अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 13 की ओर से दिनांक 05.01.2024 तक भी पेश नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादअधीन आराजी में सहखातेदार है। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन किया गयाः—

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण— प्रार्थीया संख्या 01 रिकार्डेड तथा शामलाती खातेदार है। उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।
2. सुविधा का संतुलन— प्रार्थीया संख्या 01 विधवा महिला है एवं रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में दखल करने से रिकार्डेड खातेदार को असुविधा होगी। उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।
3. अपूरणिय क्षति— प्रार्थीया विधवा महिला है व उसकी विवाहिता पुत्री है, यदि अप्रार्थीगण प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में मदाखलत करतें हैं तो प्रार्थीगण को अपूरणिय क्षति होगी।

उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगणों को वाद के गुणावगुण के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि झाडौल, पटवार हल्का झाडौल तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 627, 190, 191, 676/193, 187, 188, 189, 421, 422, 423 तथा गोपालपुरा स्थित भूमि खसरा संख्या 136 में प्रार्थीयागणों के हक हिस्से तक दखलअन्दाजी नहीं करें, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 17/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:10:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी अराई